Hindi

संख्या-11013/9/95-स्था0(क)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2-11-1995.

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- साम्प्रदायिक सद्भावना के लिए राष्ट्रीय संस्थान द्वारा झण्डा दिवस मनाया जाना । केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 12 के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को इसमें भाग लेने की अनुमति ।

केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 12 के अन्तर्गत कोई भी सरकारी कर्मचारी, सरकार या निर्दिष्ट प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना, कोई चन्दा नहीं मांगेगा या स्वीकार नहीं करेगा या किसी भी उद्देश्य से निधि इकट्ठे करने चाहे वो नकदी के रूप में हो या सामग्री के रूप में एकत्र करने में अपना सहयोग नहीं देगा ।

2. साम्प्रदायिक सद्भावना संबंधी राष्ट्रीय संस्था का गठन साम्प्रदायिक सद्भावना बढ़ाने तथा विशेषत: साम्प्रदायिक हिंसा में अनाथ व बेसहारा हुए बच्चों के शारीरिक व मानसिक पुनर्वास के लिए किया गया है । यह संस्था अंशदान एकत्र करने के प्रयास में जुटी है तथा प्रत्येक वर्ष "निधि निर्माण सप्ताह" तथा "झण्डा दिवस" मनाती है । इस आशय के स्पष्टीकरण मांगे गये है कि क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी इस संस्था से संबद्ध हो सकते है अथवा इसके लिए चन्दा एकत्र करने के प्रयासों में शामिल हो सकते है ।

3. इस मामले की जांच की गई है तथा साम्प्रदायिक सद्भावना संबंधी राष्ट्रीय संस्था के उद्देश्यो के मद्देनजर भारत सरकार ने नियम 12 के प्रावधानो को शिथिल करने का निर्णय लिया है ताकि सरकारी कर्मचारी इस संस्था के निधि निर्माण प्रयासों में स्वेच्छा से भाग ले सके ।

कृ मेनन

(कृष्ण मेनन)
उप-सचिव, भारत सरकार

......2/-

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय तथा विभाग ।

प्रति अतिरिक्त प्रतियों सहित सूचना के लिये निम्न को प्रेषित:-

1. भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक ।
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
3. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ।
4. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ।
5. सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन ।
6. भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त, इलाहाबाद ।
7. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय ।
8. गृह मंत्रालय तथा कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय ।
9. कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय के सभी अधिकारी तथा अनुभाग

कृ मेनन

(कृष्ण मेनन)
उप-सचिव, भारत सरकार